कार्यालय प्रधानाचार्य, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर।

संख्या 46 /बीआरजी/एमसी–26/ईसी–1 दिनांक 31 जुलाई, 2026

विज्ञप्ति/सूचना

उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 के पत्र संख्या–/889183/2025/711005(001)/20/2021 दिनांक 24 फरवरी, 2025 के अनुपालन में राजकीय कॉलेज परिसर, गोरखपुर में आई०एन०सी० मानकों की पूर्ति एवं छात्र–छात्राओं के पठन पाठन के दृष्टिगत ट्यूटर के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु एतद्द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

उक्त पदों पर चयन साक्षात्कार **(Walk-in-Interview)** के माध्यम से किया जाना है। इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि उक्त पदों पर साक्षात्कार हेतु बी०आर०डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर के प्रधानाचार्य कालेज कमेटी कक्ष में दिनांक 19 अगस्त, 2026 (मंगलवार) को प्रातः बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें।पद रिक्त होने की दशा में प्रत्येक शुक्रवार को कार्यदिवस में साक्षात्कार आयोजित किये जायेंगे। रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है–

क्र0सं0	पदनाम	श्रेणी					वांछित योग्यता
		SC	UR	OBC	EWS	ST	
1	Tutor	01	02	00	1	..	M.Sc.(N) Or B.Sc.(N)/P.B.B.Sc.(N) with 1 year experience

आवदेन शुल्क– अभ्यर्थियों को रू0–2000/–आवेदन शुल्क डी0डी0 के रूप में जामा करना होगा, जो प्रधानाचार्य, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर के नाम से देय होगा एवं अन्य किसी माध्यम से जमा किया गया शुल्क मान्य नही होगा। आवेदन शुल्क किसी भी दशा में वापस नही होगा। एक से अधिक पदो के लिए आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी को पृथक पृथक आवेदन प्रपत्र भरना होगा और आवेदन शुल्क देना होगा।

संविदा पर नियुक्ति की शर्ते निम्नवत् है–

1. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले नर्सिंग शिक्षकों को शासनादेश संख्या–57/2022/156557/71–1005(001)/20/2021 दिनांक 15.04.2022 में निर्धारित शर्ते लागू रहेंगे।
2. वेतन के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा। इनके अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते, बोनस एवं पेंशन सम्बन्धित सुविधाओं का हकदार नही होगा।
3. नर्सिंग शिक्षकगण स्थानांतरित नही किये जायेंगे।
4. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले शिक्षकगण ट्यूटर को रू0 45,000/– का नियत मानदेय प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा।
5. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले नर्सिंग शिक्षको को वही मानदेय प्रदान किया जायेगा जो शासन द्वारा निर्धारित किया गया है।
6. नर्सिंग शिक्षकों की ड्यूटी 08 घण्टे की होगी, किसी भी कार्य दिवस में अनुपस्थिति रहने पर उस दिवस के वेतन की धनराशि प्रदान नही की जायेगी।
7. संविदा कर्मिकों को आकस्मिक अवकाश/चिकित्सा अवकाश वर्ष में अधिकतम 14 तथा राजपत्रित अवकाश पूर्व में अनुमति के पश्चात् देय होगा।
8. यदि कोई संविदा कर्मी बिना किसी विशिष्ट कारण अथवा सूचना के अपनी ड्यूटी से एक सप्ताह से अधिक अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
9. नर्सिंग शिक्षकों का संविदा कार्यकाल 02 वर्ष का होगा। 02 वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात् लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी/नियमित नर्सिंग शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर सेवा को पुनः 01 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
10. सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।

Scanned with OKEN Scanner

11. संविदा छोड़ने की स्थिति में एक माह पूर्व नोटिस या नाटिस न देने की स्थिति में 01 माह का मानदेय जमा करना होगा।
12. संविदा कार्मिक की सेवाये सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी के उपलब्ध होने पर **Last Come First Go** के आधार पर तत्काल समाप्त हो जायेगी।
13. ट्यूटर के पदों **Walk-in Interview** के माध्यम से चयन प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।
14. साक्षात्कार के समय समस्त वांछित मूल अभिलेख तथा उनकी एक स्व प्रमाणित **(Self Attested)** छायाप्रति एवं फोटी अवश्य लायें।
15. सरकार/आई0एन0सी0 के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों का ही शैक्षणिक अनुभव मान्य होगा।
16. आर्थिक रूप से कमजोर **(EWS)** प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए मान्य ही स्वीकार होगा।
17. अन्य पिछड़ा वर्ग **(OBC)** प्रमाण पत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2026 के पश्चात् का ही मान्य होगा।
18. उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों/अनुमूतिनातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार को अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों के अनुरूप आकाल अनुमन्य होगा।
19. संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षक भविष्य में विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण के लिए हकदार नही होगा।
20. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके विरूद्ध माननीय न्यायालय में कोई आपराधिक वाद प्रचलित नही है और यदि उनके विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवाये समाप्त कर दी जायेगी।
21. अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से सम्बन्धित विशिष्टता हेतु अपने शैक्षणिक योग्यता/अन्य प्रमाण पत्र वॉक इन इन्टरव्यू से पूर्व देना होगा।
22. पद रिक्त होने पर माह के प्रथम एवं द्वितीय शुक्रवार को कार्यदिवस में साक्षात्कार आयोजित किये जायेंगे।
23. पदों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

प्रधानाचार्य
राजकीय मेडिकल कॉलेज
गोरखपुर

संख्या– 46 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 उ0प्र0 लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण जवाहर भवन, छठा तल, उ0प्र0 लखनऊ।
3. कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ/उत्तर प्रदेश आर्युविज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
4. प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, कानपुर, मेरठ, आगरा, झांसी, आजमगढ,प्रयागराज, अम्बेडकर नगर, कन्नौज, जालौज, सहारनपुर, बदायूं को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उक्त सूचना को अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
5. प्रधानाचार्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर।
6. प्रभारी अधिकरी–वेबसाइट, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर को इस आशय के साथ प्रषित कि उक्त विज्ञप्ति को कालेज की वेबसाइट **www.brdmc.ac.in** पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।
7. कालेज/चिकित्सालय नोटिस बोर्ड/सूचना पट्ट।

प्रधानाचार्य
राजकीय मेडिकल कॉलेज
गोरखपुर

Scanned with OKEN Scanner